बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक............................

संख्या–08 / आ०5–58 / 2024......................./ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 144 दिनांक 29.01.2026 द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध "संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती रंजना कुमारी द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 29.05.2026 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखा गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 के द्वारा पक्ष रखा गया।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 2799 दिनांक 19.10.2024 द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का प्रमाण पत्र वितरण में सेवामुक्त लेखा सहायक, हाकीम कुमार शाह से अनाधिकृत रूप से कार्य कराया जाने, सेवामुक्त लेखा सहायक श्री शाह द्वारा अवैध रूप से प्रति शिक्षक 200 रूपये लेने, कार्यालय में नियुक्त कर्मी से कार्य नहीं लेने, प्रखंड संसाधन केन्द्र में अनाधिकृत रूप से शिक्षक से कार्यालीय कार्य कराने एव बी.आर.सी. में स्वच्छ व्यवस्था नहीं रखने का आरोप पत्र प्रतिवेदित किया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 493 दिनांक 20.10.2024 द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्रीमती रंजना कुमारी को निलंबन करने सहित अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र के समीक्षोपरांत आरोप की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1002 दिनांक 14.11.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्रीमती कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. प्राप्त आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 17 दिनांक 02.01.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत समर्पित बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 352 दिनांक 27.03.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालित

की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। श्रीमती कुमारी से प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 362 दिनांक 02.04.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्रीमती कुमारी को निलंबन मुक्त करते हुए उन्हें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 304 दिनांक 27.10.2025 द्वारा सभी आरोपों को प्रमाणित करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्रांक 871 दिनांक 04.12.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का प्रमाण–पत्र का वितरण सेवामुक्त लेखा सहायक श्री हाकिम कुमार साह से अनाधिकृत रूप से कराए जाने, प्रमाण–पत्र जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख किसी सेवामुक्त कर्मी को हस्तगत कराकर वितरित करने एवं कार्यालय में नियुक्त कर्मी से काम नहीं लेकर सेवामुक्त कर्मी तथा शिक्षकों से काम लिया जाने के मामले में आरोपी पदाधिकारी को दोषी मानते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 144 दिनांक 29.01.2026 द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध 'संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. अपील सुनवाई में अपीलार्थी श्रीमती कुमारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में अंकित है कि उनके लिखित बचाव अभिकथन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया तथा एक तरफा कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपित किया गया। बी0पी0एम0 को निदेश दिया गया था कि वह प्रमाण पत्र स्वयं वितरित करे। सेवामुक्त कर्मी श्री हाकिम कुमार साह अनाधिकृत रूप से उस दिन बी0आर0सी0 में आ गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन एवं सुनवाई में उनके द्वारा रखे गए पक्ष के समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इनका उक्त कथन विचार योग्य नहीं है। उनके कार्यालय में सेवामुक्त कर्मी द्वारा प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाना एवं इसके एवज में राशि लिए जाने का वीडियो वायरल होना इन्हें भी दोषी सिद्ध करता है। कार्यालय प्रधान होने के नाते इस तरह का बचाव कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

9/6/2

7. अतः समीक्षोपरांत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 144 दिनांक 29.01.2026 द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण–सम्प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा के विरूद्ध "संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक" के अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

इसके साथ ही मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(विनोद सिंह गुंजियाल)
सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–08/आ०–05–58/2024 ...774.../ पटना, दिनांक ...10.06.2026...

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्वी चम्पारण एवं दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती रंजना कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहादुरपुर, दरभंगा एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/26

सचिव, शिक्षा विभाग